प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता बाबत

:: उपस्थित अभिभाषकगण ::

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — प्रार्थी
2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई — अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. राज पैरोकार — अप्रार्थी सं. 3

:: निर्णय ::

दिनांक :– 23/03/2026

प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से रिमाण्ड होकर प्रतिप्रेषित किया गया है। पत्रावली रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थी की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमणा अधिवक्ता एवं अप्रर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता हाजिर आये निर्णय से पूर्व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है–

यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 100/87 के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 6, 7, 8 की 0.759 हैक. नहरी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 49/81 के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 912, 10/1, 10/2 की 0.531 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 48/81 के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 2/1, 2/2, 9/1 की 0.028 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 137/81 के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 2/3, 2/5, 9/3 की 0.453 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के पास आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 9/1/.002, 9/2/.002, 9/3/.021, 10/1/.025 हैक. यानी प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता से होते हुए अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 9/1/.002, 9/2/.002, 9/3/.021, 10/1/.025 हैक. यानी प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में प्रार्थी उतनी कृषि भूमि की डीएलसी दर से दौगुना राशि अप्रार्थीगण सं. 1, 2 को देने के लिये तैयार व तत्पर है। यह कि अप्रार्थी सं. 3 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है 1 यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 9/1/.002, 9/2/.002, 9/3/.021, 10/1/.025 हैक. यानी प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता द्वारा पूर्व में जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 व 2 निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधिंत है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य सुविधाजनक रास्ता है। मैना बनाम सुल्तान आदि एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में जैरकार था जिसके प्रकरण सं. 29/2025 है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2025 को निर्णय कर चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 21/1/0.013, 22/0.013 कुल 0.026 हैक. रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया है। उक्त रास्ता मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से ही स्वीकृत किया गया है। अब प्रार्थी नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कभी चालू नही रहा है। चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 10/289 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 15 बीघा भूमि पूर्व मे रामदेव कुम्हार के नाम दर्ज थी उनके स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ। मिन अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में मैना देवी को किला नं. 21 व 22 में रास्ता दिया जा चुका है। अब प्रार्थी अपने परिवार के सदस्यो के नाम दर्ज कृषि भूमि में से किला नं. 13, 18, 23 में से नया रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है जो रास्ता मौके पर चल रहा है व उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है। यदि मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में नया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि टुकड़ो मे विभाजीत हो जायेगी। इसलिये प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से नया रास्ता स्वीकृत करवाने का हकेदार नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कभी चालू नही रहा है। इसलिये

तहसीलदार एवं
पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज के है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रकरण मे तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकि है।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा हमारे द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.25 इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि रास्ते में आई भूमि के बदले भूमि दिये जाने के बिन्दू पर विचार कर उभय पक्ष सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

आदेश

अधिवक्ता उभय की बहस पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस मे कथन किया कि चाहा गया रास्ता कम दूरी का रास्ता है स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी भूमि के बदले भूमि देने के लिए तैयार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि प्रार्थी की भूमि से चिपती नहीं लगती है इस लिए भूमि के बदल भूमि नही दी जा सकती है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि तहसीलदार पीलीबंगा से पुनः रिपोर्ट मंगवायी जावे जिसके संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जिसमें तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट दिनांक 01.02.2025 व पुनः रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 29.07.2025 के संबंध में पुनः रिपोर्ट हेतु निवेदन किया गया जबकि तहसीलदार रिपोर्ट बाद निर्णय दिनांक 18.08.2025 को कर दिया गया हैं जिसके संबंध में इस स्तर पर पुनः रिपोर्ट मगवाये जाने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता हैं तथा माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त तहसीलदार रिपोर्ट को सही मानते हुए केवल भूमि के बदले भूमि के प्रावधान पर विचार करते हुए निर्णय पारित करने हेतु निदेर्शित किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2026 को खारिज किया जाता है।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मौका स्थिति की पूर्व मे प्राप्त हो चुकि है जिसका गहन अध्ययन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जिस पूर्व में स्वीकृत रास्ता के संबंध में बहस में कथन किया गया है वह अधिक लम्बी दूरी का रास्ता है। पत्रावली प्रस्तुत दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त मौका नक्शा का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण संख्या 1 के साथ प्रार्थी का रकबा से चिती भूमि नहीं लगती है अप्रार्थी संख्या 2 के किला न0 8 में चिपती हुई भूमि पर प्रार्थी का टयूबवेल कुंआ स्थित होने के कारण रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने के प्रावधान प्रार्थना पत्र में नहीं बनता है।

इस लिए चाहा गया रास्ता कम दूरी का एवं अत्यांतिक रास्ता होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाता है अतः अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.न. 10/289(26)किला नं. 9/1/.002, 9/2/.002, 9/3/.021, 10/1/.025 हैक. यानी प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता को स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकर के रूप मे प्रार्थी से रास्ता के प्रतिकर के रूप में डीएलसी की दूगना राशि जमा खजानाराज

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

करवाया जाकर आदेशों की पालना में रास्ता राजस्व रिकार्ड में अन्य वाद/स्थगन नहीं है तो अमलदरामद करें।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 23/03/21 सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा